निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 57/2011
दायरा दिनांकः—30.06.2009
निर्णय दिनांकः—30.5.25

उनवान

1. जानकी बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया)
2. बादाम बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया)
3. छोटी बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया) निवासीगण कछावन तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. बाबूलाल मीणा आत्मज भैरूलाल जाति मीणा निवासी कछावन
2. बद्रीलाल पुत्र गोपाली बाई जाति भील निवासी किशनपुरा तहसील किशनगंज
3. जमनालाल पुत्र गोपाली बाई जाति भील निवासी किसनपुरा तहसील किशगंज
4. शांतिबाई बेवा नारायण
5. रेवडिया आत्मज नारायण
6. फूलचंद पुत्र नारायण
7. मडिया पुत्र नारायण जातियान भील निवासीगण किशनपुरा
8. सावित्री पुत्री नारायण पत्नि मदनलाल जाति सहरिया निवासी खलदाखलदी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
9. लक्ष्मीराम पुत्र मथरी बाई भील निवासी सोनी दीलोद तहसील छबडा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,188 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः—

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव — वादी
2. श्री अरविन्द प्रताप सिंह — प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,91,188 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस अशय का पेश किया गया कि वाके माल कछावन तहसील छबडा में मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 2067 तक आराजी खसरा नम्बर 134/3 की 6 बीघा 3 बिस्वा भैरूलाल पुत्र राधाकिशन तथा गोपाली मथरी पुत्रिया राधाकिशन के नाम दर्ज है। भैरूलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा इंतकाल नम्बर 366 दिनांक 06.03.2009 के द्वारा वादीगण भैरूलाल के वारिसान दर्ज किये जा चुके है। गोपाली मथरी का देहान्त हो चुका है तथा प्रतिवादी क्रम 2—3 गोपाली बाई के पुत्र है तथा प्रतिवादी 4,5 मथरी के पुत्र है जो वर्तमान में किशनपुरा तहसील किशनगंज में निवास करतें है चारों ने अपनी सकूनत तर्क कर दी है इस कारण इनके हिस्से की जमीन के भी वादीगण ही अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है। प्रतिवादी नम्बर 4 बाबूलाल के जबरन दादागिरी के सहारे तथा वादी की कमजोरी का फायदा उठा कर आराजी खसरा नम्बर 134/3

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

की 6 बीघा 3 बिस्वा पर बिना किसी वैध अधिकार के जमीन पर कब्जा कर रखा है उसका कब्जा गैर कानूनी है तथा वादीगण प्रतिवादी नम्बर 1 को बेदखल करके विवादित भूमि से वापस कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी है इस हेतु माननीय न्यायालय में देदखली हेतु यह वाद पेश करतें है। वादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 1 को दिनांक 9.06.2009 को एक रजिस्टर्ड नोटिस बाबत् छोडने आराजी पर से कब्जा भेजा गया जो प्रतिवादी को प्राप्त हो गया। नोटिस की मियाद गुजरने के बाद भी प्रतिवादी पे विवादित भूमि से कब्जा नही छोडा एवं छोडने से भी साफ इंनकार हो गया तथा बाबूलाल द्वारा बिना किसी कारण से वादी को मारपीट की धमकिया दी जा रही है। प्रतिवादी संख्या 6 राजस्थान सरकार भूमिधरी है तथा वाद घोषणा का है अतः दावे में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी दर्ज किया गया है। यद्धपि राजस्थान सरकार के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहा गया है। वाद कारण दिनांक 09.06.2009 को बमुकाम छबडा पर उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम 1 को प्रेषित नोटिस प्राप्त होने पर भी जमीन से कब्जा नही छोडने पर अंतिम बार दिनांक 17.06.2009 को उत्पन्न हुआ।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश हुआ। प्रतिवादी क्रम 2 ता 9 की ओर से इकबाली जवाब पेश हुआ। वादनी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2064–67 नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 48 पेश किया गया। साक्ष्य वादी में PW1 जानकी बाई के बयान कराये गये। प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में इकरारनामा दिनांक 04.08.1989 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 73 पेश की गई। साक्ष्य प्रतिवादी में DW1 बाबूलाल DW2 रामनाररायण के बयान कराये गये।

वादनी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी क्रम 1 के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की गई। ::–

तनकी नम्बर 1 :– आया कि मोजा माल कछावन तहसील छबडा जिला बारां में भूमि खसरा नम्बर 134/3 रकबा 6.03 बीघा भैरूलाल पुत्र राधाकिशन तथा गोपाली, मथरी, पुत्रिया राधाकिशन के नाम जमाबन्दी दर्ज है

– वादनी

तनकी नम्बर 2 :– आया भैरूलाल का स्वर्गवास हो चुका है तथा वादीगण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण ने जबरन दादागिरी से कब्जा कर रखा है इसलिए वादीगण को उक्त विवादित आराजी पर पुनः कब्जा दिलाया जावें तथा प्रतिवादीगण को बेदखल कर वादीगण को कब्जा दिलाया जावें।

– वादीगण

तनकी नम्बर 3 :– आया कि भूमि खसरा नम्बर 134/3 रकबा 6.03 बीघा को खातेदार राधाकिशन ने 38 वर्ष पूर्व 20000/– में बाबूलाल प्रतिवादी को बेच दी थी तथा उसके कायम मुकामान ने इकरारनामा 04.08.1989 को बाबूलाल के पक्ष में नोटेरी से तस्दीक करा दिया था और कब्जा दे दिया था।

–प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

तनकी नम्बर 4 :– आया कि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर बाबूलाल का 38 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होने से प्रतिवादी बाबूलाल का एडवर्स पजेशन होने से वाई आपरेशन ऑफ ला प्रतिवादी बाबूलाल उक्त भूमि पर अपने आप को खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है इसलिए उक्त भूमि पर बाबूलाल प्रतिवादी को कृषक खातेदार घोषित किया जावें।

–प्रतिवादी

तनकी नम्बर 5 :– अनुतोष

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई बहस के दौरान अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया वकील वादी का कथन है विवादित आराजी वाके ग्राम कछावन तहसील छबडा में स्थित है। जो भैरूलाल पुत्र राधाकिशन तथा गोपाली, मथरी, पुत्रिया राधाकिशन के नाम दर्ज है भैरूलाल का स्वर्गवास होने के बाद फोती नामान्तरण नम्बर 366 दिनांक 06.03.2009 से भैरूलाल के वारिसान के नाम दर्ज हुए। प्रतिवादी बाबूलाल ने जबरन बलपूर्वक वादी के खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर रखा है जिसे बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें। बाबूलाल को कोई भूमि नही बेची बाबूलाल द्वारा फर्जी बनावटी दस्तावेज तैयार किया है रजिस्ट्री क्यो नही करवाई। विवादित भूमि से बाबूलाल को बेदखल कर कब्जा वादीगण को दिलाया जावें।

बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादीगण द्वारा मिथ्या एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया है विवादित आराजी पूर्व में राधाकिशन पुत्र भंवरलाल के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में थी। भूमि राधाकिशन द्वारा लगभग 38 वर्ष पूर्व प्रतिवादी बाबूलाल को 20000/– में बेचान कर कब्जा दिया था जिसका इकरारनामा प्रतिवादी बाबूलाल के पक्ष में रूबरू गवाहान के समक्ष लिख गया। खातेदार राधाकिशन की मृत्यु के बाद कायम मुकामान भैरूलाल एवं पुत्री गोपाली, मथरी,मृतक नारायण लच्छीराम गुलाब ने दिनांक 04.08.1989 को इकरारनामा बाबूलाल के पक्ष में लेखबद्ध कराकर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया। प्रतिवादी बाबूलाल का तब से ही कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रतिवादी बाबूलाल का लगभग 38 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है बाबूलाल का भूमि पर कब्जा काश्त होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। एवं प्रतिवादी बाबूलाल का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वादनी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्नानुसार किया जाता है।

तनकी नम्बर 1 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादनी पर था वादनी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2064–67 खाता संख्या 73 के अनुसार भैरूलाल पुत्र राधाकिशन गोपाली, मथरी पुत्रिया राधाकिशन जाति भील सा0देह दर्ज है जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 17 में नामान्तरण नम्बर 366

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक 06.03.2009 से मृतक भैरूलाल के स्थान पर वारिसान जानकी बाई, बादाम बाई, छोटी बाई, पुत्री भैरूलाल के नाम खाता दर्ज हुआ नोट अंकित है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता भैरूलाल एवं गोपाली, मथरी, पुत्री राधाकिशन के खातेदारी में दर्ज थी खातेदार भैरूलाल के फोत होने के बाद फोती नामान्तरण नम्बर 366 दिनांक 06.03.2009 से वादीगण का नाम दर्ज हुआ। अतः यह तनकी वादनीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 2 :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कछावन सम्वत् 2072–75 खाता संख्या 48 प्रर्दश P1 के अनुसार जानकी बाई, बादाम, छोटी बाई, पुत्रिया भैरूलाल हिस्सा 1/3 गोपाली,मथरी पुत्री राधाकिशन हिस्सा 2/3 दर्ज है प्रतिवादी के जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम के अनुसार मूल खातेदार राधाकिशन द्वारा प्रतिवादी बाबूलाल को 38 वर्ष पूर्व बेचान कर कब्जा सभंला दिया। परन्तु विवादित आरजी प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के खातेदारी में दर्ज नही है भूमि वादीगण एवं गोपाली व मथुरी के खातेदारी में दर्ज है जानकी बाई के बयान PW1 की जिरह में बताया कि राधाकिशन ने 38 साल पहले 20000/– में जमीन बेचकर कब्जा सम्भलाया हो तो मुझे पता नही है मेरी भुआ गोपाली व मथरी के वारिसान द्वारा दिनांक 04.08.1989 को भूमि बेचान कर दी हो तो मुझे पता नही है बाबूलाल के बयान DW1 की जिरह में बताया कि स्टम्प लिखने के तीन साल पहले इस जमीन को भैरूलाल से खरीदा था तीन साल पहले जमीन खरीदी तब स्टम्प नही लिखवाया था। जमीन की रजिस्ट्री कराने आये तो जमीन राधाकिशन के नाम निकली। स्टाम्प लिखने आये तब 5000/– दिये प्रर्दश DWA पर मेरे हस्ताक्षर नही है मेने जमीन भैरूलाल से खरीदी थी राधाकिशन से नही खरीदी। मेने राधाकिशन नही देखा स्टाम्प लिखवाया उस समय मथुरी बाई मर चुकी थी मथरी बाई के स्टाम्प पर हस्ताक्षर नही है मेने रजिस्ट्री कराने को कोई दावा नही किया। परन्तु वादी एवं प्रतिवादी के बयानों से यह स्पष्ट है कि कब्जा प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल को सुपुर्द किया गया था। तथा बेचाननामा के आधार पर किया गया था अतः प्रतिवादी ने जबरन दादागिरी से कब्जा कर रखा हो यह साबित नही है इसलिए तनकी नम्बर 2 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 3 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 04.08.1989 के अनुसार भैरूलाल पुत्र राधाकिशन, गोपाली, पुत्री राधाकिशन, नारायण, लच्छीराम पुत्र मंगला, गुलाब पुत्री मंगला द्वारा खसरा मिसल 134 रकबा 6.03 बीघा का बेचान खातेदार राधाकिशन द्वारा लगभग 15 वर्ष पूर्व बाबूलाल पुत्र भैरूलाल मीना को बेचान कर कब्जा दिया था। प्रस्तुत इकरारनामा से यह साबित होता है कि भूमि खातेदार राधाकिशन से क्रय की गई थी ओर इकरारनामा भैरूलाल गोपाली, व मथरी के वारिसान से लिखवाया गया है प्रतिवादी बाबूलाल द्वारा अपने बयान DW1 की जिरह में भी बताया है कि स्टाम्प पर मेरे हस्ताक्षर नही है यह भी बताया कि रजिस्ट्री कराने गये तब भूमि राधाकिशन के नाम थी। प्रतिवादी बाबूलाल ने जब भूमि 15 वर्ष पूर्व राधाकिशन से खरीदी थी प्रतिवादी बाबूलाल भूमि राधाकिशन से खरीदना बता रहे है ओर इकरारनामा अन्य से लिखवाया गया है अनरजिस्ट्री विक्रय पत्र पर बेचान किया जाना एवं खातेदार द्वारा भूमि बेचान इकरारनामा पर किया

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

गया वैध बैचान नही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नम्बर 4 :– इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी क्रम 1 पर था। प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल का इकरारनामा के आधार पर अपना कब्जा 38 वर्ष पूर्व का होना बताया गया है तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है जों प्रतिवादी क्रम 1 को दिया जाना सम्भव नही है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रवाधान नही है प्रतिवादी क्रम 1 बाबूलाल को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है अतः यह तनकी प्रतिवादी क्रम 1 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन से चाहे गए अनुतोष का निस्तारण निम्नानुसार है।

1. वादीगण द्वारा प्रतिवादी को बेदखल करने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वादनीगण रिकार्डेड सहखातेदार है एवं भूमि का विभाजन नही हुआ है इसलिए किस हिस्से में वादनी का हिस्सा होगा, यह तय नही हुआ है। इसलिए वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादी को बेदखल किये जाने का अनुतोष दिया जाना सम्भव नही है अतः वाद खारिज किया जाना न्यायोचित है।
2. प्रतिवादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार देय नही होने के कारण काउन्टर क्लेम खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। तद्नुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर ए एस
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उपखण्ड अधिकारी, छबडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 57/2011	धारा 88,91,188,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांकः- 30.5.25
समक्ष : **श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छबडा जिला बारां**		
उपस्थिति :अभिभाषकवादीः-श्री कृष्ण गोपाल भार्गव		अभिभाषक प्रतिवादीः- श्री अरविन्द प्रताप सिंह

वाद शीर्षक

उनवान

1. जानकी बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया)
2. बादाम बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया)
3. छोटी बाई पुत्री भैरूलाल जाति भील (सहरिया) निवासीगण कछावन तहसील छबडा जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. बाबूलाल मीणा आत्मज भैरूलाल जाति मीणा निवासी कछावन
2. बद्रीलाल पुत्र गोपाली बाई जाति भील निवासी किशनपुरा तहसील किशनगंज
3. जमनालाल पुत्र गोपाली बाई जाति भील निवासी किसनपुरा तहसील किशगंज
4. शांतिबाई बेवा नारायण
5. रेवडिया आत्मज नारायण
6. फूलचंद पुत्र नारायण
7. मडिया पुत्र नारायण जातियान भील निवासीगण किशनपुरा
8. सावित्री पुत्री नारायण पत्नि मदनलाल जाति सहरिया निवासी खलदाखलदी तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
9. लक्ष्मीराम पुत्र मथरी बाई भील निवासी सोनी दीलोद तहसील छबडा
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 का काउन्टर क्लेम चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

उपखण्ड-अधिकारी छबड़ा, जिला (बारां)

आज आदेश मेरे हस्ताक्षर एव न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 30.5.25 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा जिला (बारां)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वदपत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषकपत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थनापत्र (स्टाम्प+लिखितसामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिकअभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीसकमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		